Section 28 : Amendment of registration

(1) Every registered person and a person to whom a Unique Identity Number has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto, in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(2) The proper officer may, on the basis of information furnished under sub-section (1) or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particulars as may be prescribed:

Provided further that the proper officer shall not reject the application for amendment in the registration particulars without giving the person an opportunity of being heard.

(3) Any rejection or approval of amendments under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, as the case may be, shall be deemed to be a rejection or approval under this Act.

धारा 28 : रजिस्ट्रीकरण का संशोधन

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्यांक समुनदेशित किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन के संबंध में ऐसे प्रारूप और रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या उन्हें नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत् उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

(3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का नामंजूर किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन नामंजूर किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।